

# मूल वाद में डिकी

(आदेश-20 के नियम-8 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या-148/2018

1. काना पिता बालु खारोल, निवासी - बलवन्तपुरा भोजरास तहसील हुरडा।

-वादीगण

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील हुरडा।

-प्रतिवादीगण

प्रेषित:-

वादपत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से काना प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 07.05.2018 को अदालत के सम्मक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि दावा वादी डिकी किया जाकर मौजा भोजरास पटवार हल्का भोजरास तहसील हुरडा कि आराजी न० 480/1, 488/1, 491/2, 1372, 1384/1, 1428/1, 1437, 1457/2, 3181/1467 किता 9 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा भूमि में काना 1/2, मिदू 1/2, पिता कालु खारोल दर्ज किया जावें तथा शेष बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।



वादे के खर्चे

उपखण्ड अधिकारी  
न्यायाधीश  
एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
गुलाबपुरा केम्प

वादी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना	00	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील					
8. स्टाम्प					
योग:-	00	00		00	00